

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**  
**//आदेश//**

30 JUN 2014

नया रायपुर, दिनांक 10/6/2014

क्रमांक-एफ-2-26/2013/सात-2 :- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक/3069/55/2013/चयन, दिनांक 15.10.2013 द्वारा नायब तहसीलदार के पद हेतु जारी चयन सूची की मुख्य सूची में से अनुपूरक/प्रतीक्षा सूची से कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा इनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नायब तहसीलदार के पद पर वेतन बैंड रुपये 9300-34800 तथा ग्रेड पे 4200 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 2 वर्ष की परीवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से अधिरोपित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कॉलम-5 में उल्लेखित जिले में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पत्र व्यवहार का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला	श्रेणी
01	02	03	04	05	06
1.	5	श्री आशीष कुमार सिंह	ग्राम-धोबहा, पोस्ट-जगतपुर, जिला-रायबरेली, उत्तरप्रदेश, पिनकोड-229402	बिलासपुर	अनारक्षित
2.	9	श्री सुनील अग्रवाल	पिता स्व.श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, ग्राम व पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिनकोड-496001	जांजगीर-चांपा	अनारक्षित
3.	10	श्री सुभाष कुमार शुक्ला	ग्राम-बीरनपुर कला, पोस्ट-उड़ियाखुर्द जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़, पिनकोड-491995	बेमेतरा	अनारक्षित
4.	15	धीरज कुमार कनौजिया	पीपरमार, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिनकोड-496116	कांकेर	पिछड़ा वर्ग
5.	19	रूपेश कुमार सिंह	पिता श्री सुरेश कुमार सिंह, जेलपास, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़, पिनकोड-497229	कोरिया	अनारक्षित (विकलांग)
6.	24	श्री पंकज कुजूर	द्वारा श्री एच.एक्का, गंगानगर, सेक्टर-1, पोस्टआफिस-मंगला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिनकोड-495001	कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति

शर्तें :-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है एवं जाति, निवास, शैक्षणिक अर्हता, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य आदि प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है।

d

क्रमशः...02

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप संलग्न है)
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिए जाएंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कारण बताये, पूर्वाग्रह के बिना नियोक्ता द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अन्तिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाएगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण-पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण-पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित जिलों के कलेक्टर्स के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे इन्हें राज्य शासन द्वारा 01 नवंबर 2004 लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
  10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तितम (Provisional) है तथा परिवीक्षा अवधि में बिना कोई कारण बताये, एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकेगा।
  11. नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
  12. नियुक्त अभ्यर्थियों को जब प्रशिक्षण हेतु जहां भी बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति संबंधित स्थान पर देंगे।
  13. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथमबार में असफल होने पर अभ्यर्थी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।
  14. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को अपनी परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक, अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा। जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त की जा सकेंगी।
  15. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किए जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(चन्द्रकान्त उड्के)  
संयुक्त सचिव 6/1/4

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमशः...04

पृ.क्रमांक-एफ-2-26/2013/सात-2

रायपुर दिनांक /06/2014

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर.
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
3. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर.
5. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर.
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक/वाकआ/एक /स्था./2014/2607, दिनांक 17.04.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया आपके विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ श्री सुनील अग्रवाल एवं श्री रूपेश कुमार सिंह के अनुप्रमाणन फार्म एवं अन्य अभिलेख मूलतः इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक/आब/स्था./2014/1241, दिनांक 02.04.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया आपके विभाग में आबकारी उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ श्री सुभाष शुक्ला, धीरज कुमार कनौजिया, श्री पंकज कुजूर एवं श्री आशीष सिंह के अनुप्रमाणन फार्म एवं अन्य अभिलेख मूलतः इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़.
11. सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक/3674/12/2014/चयन, दिनांक 13.01.2014 के संदर्भ में.
12. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर.
13. संचालक, प्रशासन अकादमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि भविष्य में आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
14. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर.
15. कलेक्टर जिला ..... (छ.ग.) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व अवलोकन हेतु प्रस्तुत मूल जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और पूर्ण संतुष्टि के उपरांत कार्यभार ग्रहण करायें। यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न कराकर संबंधित प्रकरण विभाग को प्रेषित करें तथा संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र मूलतः इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
16. कोषालय अधिकारी जिला ..... (छ.ग.)

17. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... को निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक अर्हता, जाति, निवास आदि संबंधी मूल-दस्तावेज संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करें ताकि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा की जा सके। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आपकी जिले में उपस्थिति इस विभाग के पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी, साथ ही यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार/अस्वीकार हो, तो कृपया इस आदेश के पावती के साथ सहमति/असहमति भी तत्काल इस विभाग को भेजें।
18. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(टीप :-आदेश, राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue/> में उपलब्ध है)

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

## शपथ-पत्र

समक्ष

.....  
.....

मैं ..... (नाम) पिता/पति ..... आयु .....  
वर्ष निवासी ..... शपथ पूर्वक कथन करता हूं, कि

1. मुझे छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-02/2014/सात-4, दिनांक 04/03/2014 को उल्लेखित शर्त क्रमांक-1 से 15 तक मान्य हैं तथा मैंने इन शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है।
2. यह भी कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निवास प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति है।
3. यह भी कि मेरे द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र वैध रूप से जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि है।
5. मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी मिथ्या अथवा असत्य नहीं है।
6. मेरे द्वारा अनुप्रमाणन फार्म के कॉलम-12 में किसी तथ्य को जानबूझ कर जानते हुए नहीं छिपाया गया है तथा अनुप्रमाणन फार्म में भरी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता

### सत्यापन

मैं ..... पिता/पति ..... आयु .....  
निवासी ..... सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त कंडिका 1 से  
6 तक कथन सही है तथा मिथ्या व असत्य नहीं है।

शपथकर्ता